



कुलसाचिव कार्यालय

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ-226007

(नैक द्वारा ए++ ग्रेड प्रत्यायित)

संदर्भ संख्या :/पी.ए./2023

दिनांक :

रजिस्टर्ड/स्पीडपोस्ट/व्यक्तिगत

कार्यालय-ज्ञाप

सूच्य है कि सहयुक्त महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों/विषयों में शिक्षकों की चयन समिति हेतु विश्वविद्यालय से विषय विशेषज्ञ प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाते हैं। किन्तु प्रायः देखा गया है कि महाविद्यालयों द्वारा आधे-अधूरे प्रपत्रों के साथ अपरिपक्व प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाते हैं जिसके कारण जहाँ विषय विशेषज्ञ नामित किये जाने की कार्यवाही सुगमता पूर्वक सम्पन्न नहीं हो पाती है वहीं इस प्रक्रिया में विलम्ब भी होता है और महाविद्यालय में शैक्षणिक कार्य भी प्रभावित होता है।

अतः समस्त सहयुक्त महाविद्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि विषय विशेषज्ञ नामित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव के साथ निम्न प्रपत्र/अभिलेख अनिवार्य रूप से संलग्न किये जाय :-

1. दो समाचार पत्रों में तीन दिवस के विज्ञापन की मूलप्रतियां।
2. प्रत्येक विषय के लिए निर्धारित शुल्क विश्वविद्यालय के खाते में ऑनलाइन जमा कर उसकी रसीद की प्रति।
3. महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति के अनुमोदन पत्र की छायाप्रति।
4. पदों के विज्ञापन की सूचना लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने सम्बन्धी प्रपत्र की छायाप्रति।

उक्त प्रपत्रों के अभाव में प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों पर विषय विशेषज्ञ नामित किये जाने की कार्यवाही किया जाना विधिक रूप से सम्भव नहीं होगा जिसके लिए सम्बन्धित महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(संजय मेधावी)
कुलसचिव

संख्या : AF-11028-31

दिनांक : 22/5/23

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. अधिष्ठाता, महाविद्यालय विकास परिषद, ल0वि0वि0।
3. ☒ इंचार्ज, वेबसाइट, ल0वि0वि0 को इस आशय से प्रेषित कि समस्त सहयुक्त महाविद्यालयों को ई-मेल से प्रेषित करने एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने कष्ट करें।
4. प्रबन्धक/प्राचार्य, समस्त सहयुक्त महाविद्यालय-लखनऊ, हरदोई, रायबरेली, सीतापुर एवं लखीमपुर खीरी को अनुपालनार्थ।
5. गार्ड फाईल।

(प्रमोद कुमार मिश्र)
सहा. कुलसचिव (संभव) 2023